न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 3, जौनपुर।

सत्र परीक्षण संख्या– 241/ 13

स्टेट बनाम जैस यादव

<u>दिनांक 17–10–2015</u>

1– पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिक्ता को प्रार्थनापत्र 5ख पर सुना जा चुका है।

2– प्रार्थी/ अभियुक्त की तरफ से प्रार्थना पत्र 5ख इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद मे धर्मेन्द्र कुमार अभियुक्त है । घटना दिनांक 02.03.13 की है । धर्मेन्द्र घटना के समय अवयस्क था स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार उसकी जन्मतिथि 08.05.96 है । घटना के समय उम्र 18 वर्ष से कम है । अभियुक्त का परीक्षण किशोर न्याय बोर्ड द्वारा हेाना चाहिए । अतः पत्रावली किशोर न्यायबोर्ड मे विचारण हेतुं भेजने की कृपा की जाय। तथा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे अभिलेखीय साक्ष्य के रूप मे स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की प्रति 7ख प्रस्तुत की है।

3– इस सम्बन्ध मे न्यायालय द्वारा साक्षी सी.डब्लू. 1 आनन्द किशोर सिंह सहायक अध्यापक सलोनी को परीक्षित कराया गया है जिन्होने अपने मुख्य पृच्छा मे यह कथन किया है कि सीताराम ने अपने पुत्र धर्मेन्द्र कुमार की द्वितीय प्रति स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दिया तो मेरे द्वारा प्रवेश रजिस्टर से कमांक 2551 लगायत 2846 तक के रजिस्टर मे कमाक संख्या 2675 पर धर्मेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम निवासी सलोनी महिमापुर जाति अहिर का नाम दर्ज है तथा जन्म तिथि 08.05.1996 अंकित है। उक्त रजिस्टर आज न्यायालय मे लाया हूॅ तथा उसकी छाया प्रति न्यायालय मे दाखिल कर रहा हूॅ ।

इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी तो इसने प्रतिपरीक्षा मे यह कथन किया है कि प्राइमरी विद्यालय मे किसी छात्र का नामांकन जुलाई माह से होता था। छात्रों के नामांकन समाप्त होने पर सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारी से हस्ताक्षर कराए गए है।

4– अभियोजन पक्ष की तरफ से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है न ही प्रार्थी की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेज का खण्डन किया गया है।

5– मैने पत्रावली का अवलोकन किया।

6— प्रार्थी / अभियुक्त की तरफ से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप मे स्थानान्तर प्रमाण पत्र की प्रति 7ख प्रस्तुत किया गया है, जिसमे प्रार्थी / अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम निवासी सलोनी महिमापुर जाति अहिर का नाम दर्ज है तथा जन्म तिथि 08.05.1996 अंकित है। प्रार्थी / अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार की जन्म तिथि के अनुसार घटना के दिन जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या 3क/ 1 अर्थात 02.03.2013 को उसकी उम्र 16 वर्ष 9 माह 24 दिन होता है। तथा न्यायालय साक्षी आनन्द किशोर सिह सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत प्रवेश रजिस्टर कमांक 2551 लगायत 2846 तक की छाया प्रति कागज संख्या 46ग प्रस्तुत किया गया है जिसमे कम संख्या 2675 पर धर्मेन्द्र कुमार की आयु 08.05.96 दर्ज है। तथा इस गवाह ने न्यायालय मे अपने बयान मे भी अभियुक्त की जन्म तिथि 08.05.96 अंकित होने का कथन किया है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त की घटना के समय उम्र 16वर्ष 9 माह 24 दिन की थी । अतः उसे बाल अपराधी घोषित किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र 5ख स्वीकार किये जाने येाग्य है।

आदेश

प्रार्थी / अभियुक्त का प्रार्थना पत्र. 5ख स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी / अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार को बाल अपराधी घोषित किया जाता है । सम्बन्धित लिपिक को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार अभियुक्त का परीक्षण किशोर न्याय बोर्ड मे कराने हेतु उसकी पत्रावली पृथक कर किशोर न्याय बोर्ड भेजना सुनिश्चित करें।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या—3,जौनपुर।